भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3851

उत्तर देने की तारीख : गुरूवार, 06 अप्रैल, 2023

16 चैत्र, 1945 (शक)

स्मारक मित्र योजना

3851. **श्री कार्तिकेय शर्मा**:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मित्र योजना देश की बहुलतावादी विरासत के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली है;
(ख) क्या सरकार के पास किसी कंपनी को विरासत स्थल के रख-रखाव की अनुमति देने के लिए कोई मानदण्ड है;
(ग) क्या कंपनियों को प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे बिना किसी हस्तक्षेप के स्थलों और उनके इतिहास को समझ सके;
(घ) क्या इस योजना के तहत सभी स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार और संरक्षित होंगे; और
(ङ) यदि नहीं, तो प्रतिष्ठित स्मारकों के आप-पास और कम होती जमीन की कीमत पर व्यवसायों को अपने ब्रांड बनाने के लिए प्रमुख सरकारी भूमि पर कब्जा करने देने के क्या परिणाम होंगे?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : स्मारक मित्र स्कीम के अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर को, कारपोरेट सामाजिक उतरदायित्व निधि के माध्यम से केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के विकास और सुख-सुविधाओं के रख-रखाव के लिए उन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) : कारपोरेट सेक्टर को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिशानिर्देश के अंतर्गत शौचालय, पेयजल, शिशु देखभाल कक्ष, बेंचें, पथ, कूड़ेदान, संकेतक आदि जैसी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके रख-रखाव करने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्मारक परिसरों की सफाई भी स्मारक मित्र द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) : यह स्कीम वर्ष 2017 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, राज्य संरक्षित स्मारकों तथा प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों में पर्यटक अनुभव को बढ़ाना परिकल्पित है। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में सुख-सुविधाओं के सभी पहलुओं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विधिवत् जांच और निगरानी की जाती है।

*****